

1254
04/07/24

HOUSI-ESTB/7/2023-V-1-Aawas Department

1/221561/2024

AO/AE/EE/Secretary

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-1

संख्या : 221561 / V-1 / 2023-ई-57589 / 2024
देहरादून, दिनांक: 01 ~~अप्रैल~~ 2024

Very important.
Kindly draft a press note
& include all villages.
A 4/7/24
AE

अधिसूचना

जनपद हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु घाड़ क्षेत्र विकास परिषद का गठन, अधिसूचना संख्या-246/V-2/आ0-2015-(आ0)/2015, दिनांक: 09 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था। वर्तमान में जनपद हरिद्वार के सुनियोजित विकास हेतु पूर्व से ही हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण अस्तित्व में होने के फलस्वरूप घाड़ क्षेत्र विकास परिषद को समाप्त करते हुए उक्त परिषद के क्षेत्र को हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Atar Singh

Date: 01-07-2024 12:50:19

(अतर सिंह)

अपर सचिव।

संख्या : 221561/V-1/2023-ई-57589/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
11. उप सचिव/नोडल अधिकारी (न्यू इण्डिया कोड पोर्टल), आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उत्तराखण्ड के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आवास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. गार्ड पत्रावली।

(अतर सिंह)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या- 246 / V-2 / आ0-2015 (आ0) / 2015

देहरादून दिनांक 9 जनवरी 2015

अधिसूचना

जनपद हरिद्वार के घाड क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु घाड क्षेत्र विकास परिषद गठित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त परिषद घाड क्षेत्र के अवरस्थापना विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं, नियोजित विकास हेतु नई योजना तैयार करने एवं उक्त क्षेत्र की जनसमस्याओं के निराकरण हेतु कार्य योजना तैयार कर संस्तु सहित शासन को सौदभित करेगी।

3- परिषद का स्वरु निम्नवत् होगा -

क्र.सं.	विवरण	नामित
1.	अध्यक्ष	शासन द्वारा नामित
2.	उपाध्यक्ष	शासन द्वारा नामित
3.	स्थानीय विधायक	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव पेयजल के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव उर्जा के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई के नामित प्रतिनिधि जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव आवास के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव/सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव/सचिव कृषि विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव/सचिव उद्यान विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव/सचिव पशुपालन विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य

19.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
20.	प्रमुख सचिव/सचिव, गन्ना विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
21.	प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग के नामित प्रतिनिधि, जो अपर सचिव से न्यून न हो।	सदस्य
22.	प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सम्बन्धित स्थानीय निकायों के अध्यक्ष।	सदस्य
23.	जिलाधिकारी, हरिद्वार।	मुख्य प्रशासक अपर मुख्य प्रशासक
24.	मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।	सदस्य
25.	वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम।	सदस्य
26.	शासन के द्वारा नामित 12 महानु।	सदस्य

6. उक्त परिषद के ढांचे, परिषद के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण/नियमावली अलग से प्रस्तुत की जायेगी।
7. घाड़ विकास क्षेत्र परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने अथवा दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में जिलाधिकारी, हरिद्वार परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।
8. घाड़ विकास परिषद के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	न्याय पंचायत का नाम
1	2	3	4
1	भगवानपुर	खेडी शिकोहपुर	खेडी शिकोहपुर
2	"	अलावलपुर	"
3	"	अहमदपुर खेडी	"
4	"	मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला	"
5	"	औरंगजेबपुर	"
6	"	लादीवाला	"
7	"	फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	"
8	"	हसनावाला	"
9	"	नौकराग्रन्ट	नौकराग्रन्ट
10	"	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	"
11	"	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	"
12	"	बन्जारेवाला ग्रन्ट	"
13	"	मजाहिदपुर सतीवाला मजबता	"
14	"	मजाहिदपुर सतीवाला खालसा	"
15	"	लामग्रन्ट	"
16	"	लालवाला मजबता	"
17	"	लालवाला खालसा	"
18	"	शहीदवाला ग्रन्ट	"
19	"	इब्राहिमपुर मसाही	हबीबपुर निवादा
20	"	झिडियान ग्रन्ट	"
21	"	हबीबपुर निवादा	"
22	"	नांगल	"
23	"	पलूनी	"
24	"	दरियापुर दयालपुर मु०	"

26	दरियापुर दयालपुर अह0	
27	अकबरपुर कालसो	
28	खेडली	
29	रोलाहटी	
30	धीरमजरा मु0	
31	धीरमजरा अह0	
32	बहावपुर जागामजरी	
33	कलालहटी	
34	हकीमपुर तुरा	भगवानपुर
35	भगवानपुर	
36	शाहपुर	
37	मक्खनपुर महमूद आलम	
38	सिसौना	
39	गी मौहम्मद सईदपुर	
40	लाव्वा	
41	रूहालकी दयालपुर	
42	खानपुर	
43	प्रेमराजपुर	
44	श्रायपुर	
45	चुडियाला मोहनपुर	चुडियाला मोहनपुर
46	महेश्वरी	
47	डाडली	
48	तेजपुर	
49	कमरहंडी	
50	कृन्जा बहादरपुर	
51	बालेकी युसूफपुर	
52	कादरपुर	
53	अमरपुर काजी	
54	सरठेडी शाहजहांपुर	
55	अलीपुर खतौला	
56	सुनहैटी आलापुर	
57	जलालपुर डाडा	जलालपुर डाडा
58	बहबलपुर हंसोवाला	
59	मानक मजरा	
60	पट्टी डाडा	
61	हल्लू मजरा	
62	सिकरोडा प्रथम	
63	सिकरोडा द्वितीय	
64	कुतुबपुर ग्रन्ट	
65	भलस्वागाज	भलस्वागाज
	मोलना	
	बिरसंगपुर	

4/11

	खजूरी	
66	मानकपुर आदमपुर	
67	बिन्दुखडक	
68	मालपुर	
69	छठरीली	
70	बिनारसी उर्फ बुलेड	
71	वेहेकी रोसबाद	
72	हरकन्दपुर	
73	सिकन्दरपुर मैसवाल	सिकन्दरपुर मैसवाल
74	लकेशरी	
75	सिरवन्दी	
76	मढेडी बुजुग	
77	मोहेतपुर	
78	शेरपुर	
79	खेलपुर नसरुल्लापुर	
80	छापरशेर अफगनपुर	
81	चौली शहाबुददीनपुर	चौली शहाबुददीनपुर
82	लतीफपुर खुबनपुर	
83	मंदावर	
84	काजीवार	
85	हसनपुर मदनपुर 90	
86	हसनपुर मदनपुर अह0	
87	बहादुराबाद	
88	आसफनगर ग्रन्ट	कोटा मुरादनगर
89	कोटा मुरादनगर	कोटा मुरादनगर
90	शिवदासपुर उर्फ लेल्लीवाला	औरंगाबाद
91	हजाराग्रन्ट	कोटा मुरादनगर
92	औरंगाबाद	औरंगाबाद
93	डालूवाला कला	कोटामुरादनगर
94	डालूवाला खुर्द	कोटामुरादनगर
95	डालूवाला मजबता	औरंगाबाद
96	टान्डा बंजारा	कोटामुरादनगर
97	दादूबास ग्रन्ट	कोटामुरादनगर
98	कालूबास ग्रन्ट	कोटामुरादनगर
99	रिठौराग्रन्ट	कोटामुरादनगर
100	रावणबास ग्रन्ट	कोटामुरादनगर
101	मोहम्मदपुर बंगपुर उर्फ टकाभरी	कोटामुरादनगर
102	शेखवाला ग्रन्ट	कोटामुरादनगर
103	मानूबास ग्रन्ट	कोटामुरादनगर

104	"	हावदीपुर ग्रन्ट	कोटामुसादनगर
105	"	सोहलपुर सिकरोढा	कोटामुसादनगर
106	"	जसवा वाला	सलेमपुर महदूद
107	"	मीरपुर मुवाजरपुर	औरंगाबाद
108	"	पूरणपुर साल्हापुर	औरंगाबाद
109	"	झब्बरपुर	औरंगाबाद
110	"	राजपुर	सलेमपुर महदूद
111	"	खालाटीरा	औरंगाबाद
112	"	रसूलपुर	सलेमपुर महदूद
113	"	गढ	सलेमपुर महदूद
114	"	कुतुबपुर	सलेमपुर महदूद
115	"	रसूलपुर टोगिया	
	रुडकी		
116	"	रांघडवाला	इमली खेडा धर्मपुर
117	"	गुम्मावाला	इमली खेडा धर्मपुर
118	"	माजरी	इमली खेडा धर्मपुर
119	"	इमलीखेडा धर्मपुर	इमली खेडा धर्मपुर
120	"	मौहम्मपुर पांडा	इमली खेडा धर्मपुर
121	"	मोहनपुर मजरा सालियर	इमली खेडा धर्मपुर
122	"	बेडपुर	दौलतपुर
123	"	करौन्दी	नन्हेडा अन्नतपुर
124	"	किशनपुर जमालपुर	नन्हेडा अन्नतपुर
125	"	पुहाना	नन्हेडा अन्नतपुर
		योग	

(डि०एस० गिबाल्ड)
सचिव,

संख्या- 246 /V/आ०-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
- 4- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
- 6- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 7- समिति के मा० अध्यक्ष/मा० उपाध्यक्ष/मा० सदस्यगण।
- 8- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 9- एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून/गार्डबुक।

आज्ञा से

(डि० शैलेश कुमार पाण्डे)
उप सचिव